न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.E.S.-06/2015 (C.I.S. No.-80/15)

Date	Order	Remarks
15-11-19	वादी तथा प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गयी है। प्रतिवादी अपने दाखिल आवेदन पत्र दिनांक–27.09.19 को संचालित कर निवेदन करते हैं कि पारित आदेश दिनांक–11.09.19 को वापस करते हुए लिखित कथन दाखिल करने की अनुमति दी जाय। सुनी। अभिलेख का अवलोकन की। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी को लिखित कथन दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाय चुका है, फिर भी वादी दिनांक–11.09.19 तक लिखित कथन दाखिल नहीं किया है। अतः प्रतिवादी को लिखिति कथन दाखिल करने से वंचित किया गया था, लेकिन प्रतिवादी वाद में संघर्ष करना चाहते हैं तथा लिखित कथन दाखिल किया है। अतः वाद के अधिवक्ता तथा समन के पाबंद को देखते हुए प्रतिवादी का '' रिकॉल '' आवेदन पत्र मोबलिक 2500/– रू0 खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि 15 दिनों के अंदर खर्चे की राशि जमा करें। खर्चे की राशि दाखिल करने के पश्चात् हीं पारित आदेश प्रभावी होगा। वाद दिनांक–05.12.19 वास्ते प्रस्तुत करें। आज्ञापित अवर न्यायाधीश, प्रथम	